इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

असाधारण आम सभा की सूचना
बुधवार, 17 जनवरी, 2018
पूर्वाह्न 10.30 बजे

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Wednesday, 17th January, 2018
10.30 a.m.

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
वेबसाइट : **http://www.allahabadbank.in**

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Website : http://www.allahabadbank.in

इलाहाबाद बैंक
Allahabad Bank

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT DATES

असाधारण आम सभा की तिथि, समय और स्थान Date, time and place of Extraordinary General Meeting	बुधवार, 17 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 Wednesday, the 17th January, 2018 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027.
सभा की कार्यसूची के मद पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए नियत तिथि Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda item of the meeting.	बुधवार, 10 जनवरी, 2018 (कार्य समय की समाप्ति) Wednesday, the 10th January, 2018 (Close of business hour).
यथायोग्य निष्पादित प्राक्सी फार्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को नियुक्त करने के लिए संकल्प (पों) की प्रति प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि Last date for receipt of duly executed proxy form and copy of resolution (s) for appointing authorized representative (s)	बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2018, अपराह्न 5.00 बजे तक upto 5.00 p.m. on Thursday, the 11th January, 2018.
रिमोट ई-वोटिंग Remote e-voting	रविवार, 14 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से मंगलवार 16 जनवरी, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक From 10.00 a.m. on Sunday, the 14th January, 2018 to 5.00 p.m. on Tuesday, the 16th January, 2018.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा, बुधवार, 17 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडीटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में निम्नांकित व्यवसाय के निमित्त आयोजित की जाएगी :

कर्मचारी शेयर क्रय योजना (जिसे इसमें इसके बाद "आलबैंक-ईएसपीएस" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत ऐसी कीमत अथवा कीमतों पर बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार यथानिर्णीत निबंधनों और शर्तों पर लाभांश के भुगतान सहित समस्त प्रयोजनों और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की सममात्रा रैंकिंग के साथ ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों का एक अथवा अधिक चरणों में सृजन, प्रदान, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन (नों) सहित या रहित, निम्नांकित को **विशेष संकल्प (पों)** के बतौर पारित किया जाना**:**

"यह संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 ("योजना") एवं इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 ("विनियम") समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां प्रयोज्य हो एवं / अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिसपर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो एवं सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 अद्यतन यथासंशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा यथानिर्धारित दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा समय समय पर प्रयोज्य अन्य समस्त विधियों के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों, अधिसूचनाओं / परिपत्रों के अध्यधीन और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर)} अद्यतन यशासंशोधित, स्टाक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता करार के अध्यधीन और किसी प्राधिकारी से किसी स्तर पर किसी प्रयोज्य अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) और किसी शर्त (शर्तों) के अध्यधीन तथा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) और संस्वीकृति (यों) प्रदान करते समय ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अथवा लागू किसी शर्त (शर्तों) और आशोधन (नों) के अध्यधीन और जिस पर बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और इसे स्वीकार किया गया हो, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात **'बोर्ड'** के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई / की जा सकने वाली समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है) को ऐसे कर्मचारियों को चाहे वे भारत या विदेश में कार्य करते हों, इस अभिव्यक्ति में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे ("कर्मचारी"), बोर्ड द्वारा यथानिर्णीत एक अथवा अधिक चरणों में कर्मचारी शेयर क्रय योजना (जिसे इसमें इसके बाद आलबैंक-ईएसपीएस के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत ऐसी कीमत अथवा कीमतों पर बोर्ड / समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार यथानिर्णीत निबंधनों और शर्तों पर लाभांश के भुगतान सहित समस्त प्रयोजनों और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की सममात्रा रैंकिंग के साथ ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर सृजन, प्रदान, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्द्वारा दी जाती है।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 15 अथवा इसके किसी सांविधिक आशोधन (नों), संशोधन (नों) अथवा पुनः अधिनियमन में यथानिर्धारित लेखा नीतियों का पालन करेगा।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड "आलबैंक-ईएसपीएस" के अंतर्गत आबंटित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तथा अन्य प्रयोज्य दिशानिर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध करने हेतु प्राधिकृत है एवं एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, "आलबैंक-ईएसपीएस" के कार्यान्वयन, निरूपण, प्रस्तुत करने और इसे प्रभावी करने और समय-समय पर "आलबैंक-ईएसपीएस" के निबंधनों और शर्तों में कोई आशोधन, परिवर्तन, विभिन्नता, बदलाव या संशोधन करने, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड के संबंध में संशोधन शामिल है किंतु यहीं तक सीमित नहीं हैं अथवा "आलबैंक-ईएसपीएस" को इस प्रकार निलंबित करने, वापस लेने, निरस्त अथवा संशोधित करने सहित, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्धारित करे, साथ ही "आलबैंक-ईएसपीएस" के कार्यान्वयन और प्रस्तावित "आलबैंक-ईएसपीएस" के अनुसरण में जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा अन्यथा के बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 और अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ निदेशकों की समिति (यां), बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
तारीखः 12 दिसम्बर, 2017

ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Wednesday, the 17th January, 2018 at 10.30 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027, to transact the following business:

To create, grant offer, issue and allot up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "AllBank-ESPS ") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as **Special Resolution (s):**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities,notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {SEBI (LODR)} as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "AllBank-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 52.00%."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "AllBank-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "AllBank-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "AllBank-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "AllBank-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "AllBank-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "AllBank-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

By order of the Board of Directors

(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 12th December, 2017

टिप्पणी :

1. **व्याख्यात्मक विवरण :**

   व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें सभा में की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है, एतद्द्वारा संलग्न किया जाता है और यह नोटिस का भाग है।

2. **परोक्षी (प्रॉक्सी) की नियुक्ति :**

   सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैठक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए उसे शेयर एवं बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2018 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे तक, अथवा इससे पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

   कोई व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक सभा में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, उस सभा, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति के रूप में प्रमाणित नहीं की गई है, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001, में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2018 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 05.00 बजे तक या इससे पूर्व प्राप्त न हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बठकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र :**

   शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पत्र इस सूचना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारक (कों)/परोक्षी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है कि वे इसे भर लें तथा इसमे यथास्थान हस्ताक्षर कर इसे सभा स्थल पर प्रस्तुत कर दें।

5. **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क :**

   भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकृत पते सम्बन्धी किसी प्रकार के परिवर्तन, अंतरण/प्रेषण हेतु अनुरोध, यदि कोई हो, आदि की सूचना देने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) से निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें :

   सी बी मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड (यूनिट इलाहाबाद बैंक)
   पी - 22, बँडेल रोड कोलकाता - 700019
   टेलीफोन : 033-40116700, 22806692, 22870263
   फैक्स : 033-40116739
   ई-मेल : rta@cbmsl.com, वेबसाइट : www.cbmsl.com.

   शेयरधारकों को त्वरित एवं दक्ष सेवा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक सेवा कक्ष स्थापित किया गया है तथा किसी प्रकार की सहायता के लिए शेयरधारक तथा निवेशक उक्त कक्ष से निम्नांकित पतों पर सम्पर्क कर सकते हैं :

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सी.एफ.ओ. एवं अनुपालन अधिकारी इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड कोलकाता - 700001 टेलीफोन नम्बर : 033-22104713 फैक्स नम्बर : 033-22106323 ई-मेल : gmfa@allahabadbank.in	मुख्य प्रबंधक (कंपनी सचिव) निवेशक सेवा कक्ष इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 टेलीफोन नम्बर : 033-22420878 फैक्स नम्बर : 033-22623279 ई-मेल : investors.grievance@allahabadbank.in

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT :

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. APPOINTMENT OF PROXY :

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/ her, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received at Shares and Bonds Department, Allahabad Bank Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001 not less than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Thursday, the 11th January, 2018. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at Shares and Bonds Department, Allahabad Bank Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on, Thursday, the 11th January, 2018. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM- ENTRY PASS :

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum- Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholder (s) / Proxy (ies) / Authorized Representative (s) are requested to fill in and affix their signature (s) at the space provided therein and surrender the same at the venue.

5. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT :

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer / transmission request (s), ECS Mandate etc. at the following address:-

CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank),
P-22, Bondel Road, Kolkata-700019,
Phone No. : 033-40116700, 22806692, 22870263
Fax : 033-40116739,
E-mail : rta@cbmsl.com,
website : www.cbmsl.com.

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up an Investors' Services Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager (F&A), CFO and Compliance Officer Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No. : 033-22104713 Fax No.: 033- 22106323 E-mail : gmfa@allahabadbank.in	The Chief Manager (Company Secretary) Investors' Services Cell Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No. : 033-22420878 Fax No. : 033- 22623279 Email : investors.grievance@allahabadbank.in

6. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार का प्रयोग :

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, सभा में भाग लेने और वोट देने के हकदार शेयरधारक, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभार्थ स्वामियों के वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा यथास्थिति 10.01.2018 **(इस प्रयोजन हेतु निर्धारित नियत तिथि)** को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी।

ई-वोटिंग मंच उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

7. ई-वोटिंग हेतु संवीक्षक :

बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्षता और पारदर्शिता से संचालित करने हेतु एसजीएस एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

8. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति :

(i) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार, दिनांक 10.01.2018 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित नियत तिथि) को यथास्थिति बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के समानुपात में होगी।

(ii) रिमोट ई-वोटिंग अवधि 14 जनवरी, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 से आरंभ होगी और 16 जनवरी, 2018 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को एनएसडीएल द्वारा उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे डिसेबल कर दिया जाएगा।

(iii) यदि आप ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(iv) आरंभिक पासवर्ड और यूजर आईडी नोटिस के साथ भेजे जा रहे हैं।

(v) यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉंच करें।

(vi) शेयरहोल्डर-लॉगइन को क्लिक करें।

(vii) यूजर आईडी और आरंभिक पासवर्ड के रूप में पासवर्ड डाल कर लॉगइन को क्लिक करें।

(viii) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रकट होगा। इस पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड से बदले जो न्यूनतम 8 अंकों/करेक्टर या दोनों के संगम से बना हो। नए पासवर्ड को नोट करें / याद रखें।

(ix) यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।

(x) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंगः एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।

(xi) इलाहाबाद बैंक का "EVEN" सेलेक्ट करें।

(xii) अब आप ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुल चुका है।

(xiii) समुचित विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और "सबमिट" पर क्लिक करें और "कन्फर्म" करें।

(xiv) कन्फर्मेशन होने पर "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश दिखाई देगा।

(xv) यदि आपने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया तो आपको अपने वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

6. **EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING :**

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional. The voting rights of the shareholders / beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 10.01.2018 (Cut-off date fixed for the purpose).

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL) as agency for providing the e-voting platform.

7. **SCRUTINIZER FOR E-VOTING :**

The Bank has appointed SGS Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Remote e-voting process in a fair and transparent manner.

8. **PROCESS AND MANNER FOR REMOTE E-VOTING :**

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on 10.01.2018 (Cut-off Date fixed for the purpose).

(ii) The Remote e-voting period will commence at 10.00 a.m. on 14th January, 2018 and will end at 5.00 p.m. on 16th January, 2018. The Remote e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

(iv) Initial password and User ID are being sent along with the Notice.

(v) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(vi) Click on Shareholder - Login.

(vii) Insert user ID and password as initial password and click Login.

(viii) Password change menu will appear. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/ characters or combination thereof. Note / Remember new password.

(ix) It is strongly recommended, not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.

(xi) Select "EVEN" of Allahabad Bank.

(xii) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.

(xiii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

(xiv) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(xv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फार्मेट) में वोट हेतु प्राधिकृत करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) द्वारा विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से sgsdel@gmail.com मेल पर भेजेंगे और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजी जाएगी।

(xvii) बहुविध फोलियो / डिमैट खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डिमैट खाते हेतु पृथक वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2E) के अनुसार भारत सरकार से इतर किसी अन्य शेयरधारक को बैंक की कुल वोटिंग अधिकारों के 10.00% से अधिक वोटिंग अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं हैं।

(xviii) कृपया नोट करें कि एक बार अपना वोट डालने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते या असाधारण आम सभा में वोट नहीं कर सकते। तथापि आप बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में भाग ले सकते हैं।

(xix) किसी प्रकार की पूछताछ हेतु आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ लें।

(xx) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन कर सकते हैं जिनका उपयोग भविष्य में पत्राचार हेतु किया जा सकेगा।

9. ईजीएम में वोटिंग :

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात बैंक द्वारा कार्यसूची मद के संबंध में मतदान कराया जाएगा। मतदान का संचालन और पर्यवेक्षण इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले संवीक्षकों के अंतर्गत होगा। असाधारण आम सभा में उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। तथापि, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है वे सभा स्थल पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात अध्यक्ष सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम सहित, मतदान के सकल परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
तारीखः 12 दिसम्बर, 2017

(xvi) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at sgsdel@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

(xvii) Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than the Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10.00% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

(xviii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xix) In case of any query, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.

(xx) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication (s).

9. VOTING AT THE EGM :

After discussion on the agenda item, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The share holder(s)/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairperson will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board of Directors

(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 12th December, 2017

सूचना की कार्यसूची मद हेतु व्याख्यात्मक विवरण :

बैंक के कर्मचारियों में लगाव की भावना को बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक की कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों सहित अपने स्थाई कर्मचारियों (पात्र कर्मचारियों) को नए इक्विटी शेयर जारी करने का बैंक का प्रस्ताव है। प्रस्तावित निर्गम से दीर्घावधि संसाधनों की बढ़ती मांग भी पूरी होगी और बासेल।।। अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता भी बढ़ेगी।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 [सेबी (एसबीईबी)] के अनुपालन में बैंक, इलाहाबाद बैंक कर्मचारी शेयर क्रय योजना ("आलबैंक-ईएसपीएस") नामक एक योजना निरुपित कर रहा है। योजना बोर्ड की समिति द्वारा शासित होगी और प्रयोज्य विधियों के अनुपालन के अध्यधीन होगी।

बैंक को भारत सरकार से उनके पत्र सं. एफ.सं. 11/03/2014 -बीओए दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से 5 (पांच) करोड़ तक के नए इक्विटी शेयर, इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों को इलाहाबाद बैंक कर्मचारी शेयर क्रय योजना के तहत इस प्रकार से जारी करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसमें की भारत सरकार की शेयर धारिता 52.00% से नीचे न जाए।

दीर्घावधि संसाधन जुटाने के अलावा इस निर्गम का उद्देश्य है:

- बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देना और पुरस्कृत करना तथा बैंक के दीर्घावधि हितों के साथ कर्मचारियों के हितों को सहबद्ध करना; और
- कर्मचारियों में स्वामित्व एवं सहभागिता की भावना विकसित करना।

योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, का भुगतान सहित हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की सममात्रा रैंकिंग के होंगे।

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)] के विनियम 41(4) और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 6 के अनुपालन में बैंक पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन हेतु एक विशेष संकल्प का प्रस्ताव कर रहा है।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/पालिसी सेल/2015 दिनांक 16 जून, 2015 के अनुसरण में उसमें उल्लिखित अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं:

ए. योजना का संक्षिप्त विवरण :

बैंक का प्रस्ताव आलबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के समस्त पात्र कर्मचारियों को रु.10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 5 (पांच) करोड़ तक के नए इक्विटी शेयर प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अध्यधीन ऑफर के समय तय किए जाने वाले समुचित प्रीमियम के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करने का है जिससे सरकार की धारिता 52.00% से कम न हो।

बी. प्रदान किए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या :

आलबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को समस्त 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

सी. आलबैंक-ईएसपीएस में सहभागिता के हकदार और लाभार्थी बनने वाले कर्मचारियों की श्रेणियों का निर्धारण :

बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक (कों) सहित बैंक के समस्त स्थायी कर्मचारी।

डी. अधिकार प्रदान करने (वेस्टिंग) की अपेक्षाएं और अवधि :

अप्रयोज्य।

ई. अधिकतम अवधि {यथास्थिति सेबी (एसबीईबी) विनियमों के विनियम 18 (1) और 24 (1) के अध्यधीन} जिसके अंदर आप्शन/एसएआर/लाभ प्रदान किया जाएगा :

अप्रयोज्य।

एफ. प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य अथवा मूल्य निर्धारण फार्मूला :

ऑफर मूल्य/क्रय मूल्य का निर्धारण ऑफर के समय बोर्ड/निदेशकों की समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बैंक के पात्र कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत आबंटित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य बोर्ड/समिति द्वारा ऑफर/क्रय मूल्य निर्धारित की जाने वाली तिथि से पहले एनएसई के दो सप्ताह के दौरान इक्विटी शेयर के वाल्यूम भारित औसत मूल्य के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न औसत पर अधिकतम 25.00% तक के छूट पर होगा।

जी. प्रयोग की अवधि और प्रयोग की प्रक्रिया :

वह अवधि जिसके दौरान बोर्ड/समिति के निर्णयानुसार निर्गम खुला रहेगा वह प्रयोग की अवधि रहेगी। प्रयोग की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों की दी जाने वाली ऑफर, आवेदन पत्र की रशीद तथा सब्सक्रिप्शन राशि और इस योजना के अनुसार शेयरों का आबंटन सम्मिलित है।

एच. प्रस्तावित ईएसपीएस हेतु कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया :

ऑफर की तिथि को यथास्थिति पात्र कर्मचारी प्रयोज्य विनियामक अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों के अध्यधीन सहभागिता हेतु पात्र होंगे।

EXPLANATORY STATEMENT FOR THE AGENDA ITEM OF THE NOTICE :

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank is formulating a Scheme namely Allahabad Bank Employee Share Purchase Scheme ("AllBank-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

The Bank has received approval from Government of India vide their letter No. F.No. 11/3/2014-BOA dated 24.11.2017 for the issuance of upto 5 (Five) crore new equity shares to the employees of the Bank under Allahabad Bank Employee Share Purchase Scheme in such a way that the Government of India holding does not come below 52.00%.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the longterm interests of the Bank; and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/ 2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME :

The Bank proposes to offer upto 5 (five) crore new equity shares of face value of ₹10/- each of the Bank to all the Eligible Employees under AllBank- ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, with appropriate premium to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 52.00%.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED :

Up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the AllBank-ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE AllBank ESPS :

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING :

Not Applicable.

E. MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED :

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of not more than 25.00% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/Committee fixes Offer / Purchase Price.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE :

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS :

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

आई. प्रति कर्मचारी और सकल रूप से जारी किए जाने वाले आप्शन, एसएआर, शेयरों की यथास्थिति अधिकतम संख्या :

योजना के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु प्रति कर्मचारी नए इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या 6,600 (छह हजार छह सौ) इक्विटी शेयर है।

बैंक का प्रस्ताव सकल रूप से अधिकतम 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर जारी करने का है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शेयर बैंक की इश्यू पश्चात प्रदत्त पूंजी के 1.00% से अधिक नहीं होगा।

जे. योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम मात्रा :

योजना के अंतर्गत उपर्युक्त पैरा (आई) में यथाउल्लिखित पात्र कर्मचारियों को जारी इक्विटी शेयरों से इतर कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

के. क्या योजना (एं) सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और अधिशासित होंगी अथवा न्यास के माध्यम से :

प्रस्ताविता योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और अधिशासित होगी।

एल. क्या योजना (ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गम अथवा न्यास द्वारा सेकेंडरी अधिग्रहण अथवा दोनों शामिल हैं :

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक, पात्र कर्मचारियों को सीधे नए इक्विटी शेयर जारी करेगा।

एम. कंपनी द्वारा योजना (ओं) के कार्यान्वयन हेतु न्यास को प्रदान की जाने वाली ऋण राशि, अवधि, उपयोग, चुकौती शर्तें आदि :

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक के नए इक्विटी शेयर, पात्र कर्मचारियों को सीधे जारी करने का प्रस्ताव है अत: न्यास के गठन अथवा न्यास को ऋण प्रदान करना प्रयोज्य नहीं है।

एन. सेकेंडरी अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन) जिसे योजना (ओं) के प्रयोजनों हेतु न्यास द्वारा बनाया जा सकता है :

अप्रयोज्य।

ओ. इस आशय का विवरण कि कंपनी, सेबी (एसबीईबी) के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों का अनुपालन करेगी :

बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों का अनुपालन करेगा।

पी. अपने आप्शन अथवा एसएआर के मूल्य हेतु कंपनी द्वारा किस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा।

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक का प्रस्ताव नए इक्विटी शेयर जारी करने का है अतः आप्शन अथवा एसएआर का मूल्यन प्रयोज्य नहीं है।

क्यू. निम्नलिखित विवरण, यदि प्रयोज्य हो :

यदि बैंक आंतरिक मूल्य का उपयोग करके शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के व्यय का विकल्प चुनता है तो इस प्रकार गणना की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और कर्मचारी क्षतिपूर्ति की उस लागत, जिसे उचित मूल्य का उपयोग करके माना जाएगा, के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा बैंक के लाभ तथा प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) पर इस अंतर के प्रभाव को भी निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, यदि प्रयोज्य हो।

आर. अवरुद्धता अवधि :

सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के अनुसार वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयरों की अवरुद्धता अवधि आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु होगी।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति उपर्युक्त संकल्प (पों) से संबंधित हैं अथवा इसमें रूचि रखते हैं क्योंकि इसमें उनका लाभ अभीष्ट है। अन्य निदेशक संकल्प से संबंधित नहीं है अथवा इसमें रूचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

(उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
तारीखः 12 दिसम्बर, 2017

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE :

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 6,600 (Six thousand six hundred) equity shares.

The Bank proposes to issue maximum of 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares in aggregate and equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

J. MAXMIUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME :

Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST :

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH :

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC. :

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S) :

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS :

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs :

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE :

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. LOCK-IN PERIOD :

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution (s) as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By order of the Board of Directors

(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place : Kolkata
Date : 12th December, 2017

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

उपस्थिति पर्ची

(असाधारण आम सभा स्थल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

दिन एवं तारीखः बुधवार, 17 जनवरी, 2018

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027

मैं एतदद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं :-

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

शेयरधारक (कों) / प्रॉक्सी (यों) / प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है कि वे असाधारण आम सभा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही नमूना हस्ताक्षर करें जो शेयरधारकों के रजिस्टर प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने वाले लिखत में पंजीकृत हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन / जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्तों के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में असाधारण आम सभा के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

✂- ✂

इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(असाधारण आम सभा के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

नोटः

1. **सभा के दौरान उपहार / उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।**
2. **जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं वे ईजीएम स्थल पर वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।**

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the Extraordinary General Meeting venue)

Day & Date: Wednesday, the 17th January, 2018

Time : 10.30 a.m.

Place: Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank:-

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No. / DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Shareholder (s) / Proxy (ies) / Authorized Representative (s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the register of shareholders / Instrument appointing Proxy / Authorized Representative), along with the entry pass, for admission to the EGM venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance of the EGM venue.

✂ - ✂

ALLAHABAD BANK
Entry Pass

(To be retained throughout the Extraordinary General Meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Note: 1. No gift / gift coupon will be distributed at the meeting.

2. Shareholders who have already cast their vote through remote e-voting are not entitled to vote at the venue of the EGM.

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700 001

फार्म "बी"

परोक्षी (प्रॉक्सी) हेतु फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

रजिस्टर्ड फोलियो नं. / डी पी आई डी एवं क्लाइंट आई डी ....

मैं/हम .... राज्य के .... जिले में स्थित .... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा .... राज्य के .... जिले में स्थित .... का/के निवासी श्री/श्रीमती .... को अथवा उनकी अनुपस्थिति में .... राज्य के .... जिले में स्थित .... का/के निवासी श्री/श्रीमती .... को दिनांक 17.01.2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूं/करती हूं/करते हैं।

इस पर..........................2018 के.......................दिन हस्ताक्षर किए।

कृपया 1 रुपए का रसीदी टिकट चिपकाए

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

....

....

परोक्षी के हस्ताक्षर

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तभी वैध होगा जब;
   - ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में उसके द्वारा अथवा विधिवत रूप से प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - सी) किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी एवं कंपनी की मुहर, यदि हो, द्वारा निष्पादित की जाएगी या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
2. जिस परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. परोक्षी (प्रॉक्सी) के साथ
   - ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   - बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2018 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात अपराह्न 5.00 बजे या उससे पहले शेयर एवं बॉण्ड विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
5. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
6. बैंक में जमा किया गया परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा।
7. यदि परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
8. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित हो।
9. इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

नोट- नियुक्त किए गए परोक्षी (प्रॉक्सी) को सभा में सभा की कार्यसूची की मद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ALLAHABAD BANK

H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"

Form for Proxy

(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No. / DPID & Client ID ....

I/We ....resident/s of.. in the district of .... in the state of... ....being a share holder/s of Allahabad Bank, hereby appoint Shri/Smt.. .... resident of .... in the district of ....or failing him/her. Shri/Smt ....resident of..in the district of ....in the state of.. as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on 17.01.2018 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this... day of 2018

Please affix One Rupee Revenue Stamp

…………………………....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name ....
Address ....
....
....

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
   (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing.
   (b) in case a joint holder, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
   (c) in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate,Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   (b) a copy of that power of Attorney or Authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Shares and Bonds Department, Allahabad Bank, Head Office not later than **FOUR Days** before the date of Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 p.m. on Thursday, the 11th January, 2018.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent , the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

Note: The proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting on the Agenda item of the meeting.

असाधारण आम सभा,

17 जनवरी, 2018

मार्ग मानचित्र

Extraordinary General Meeting

17th January, 2018

Route Map

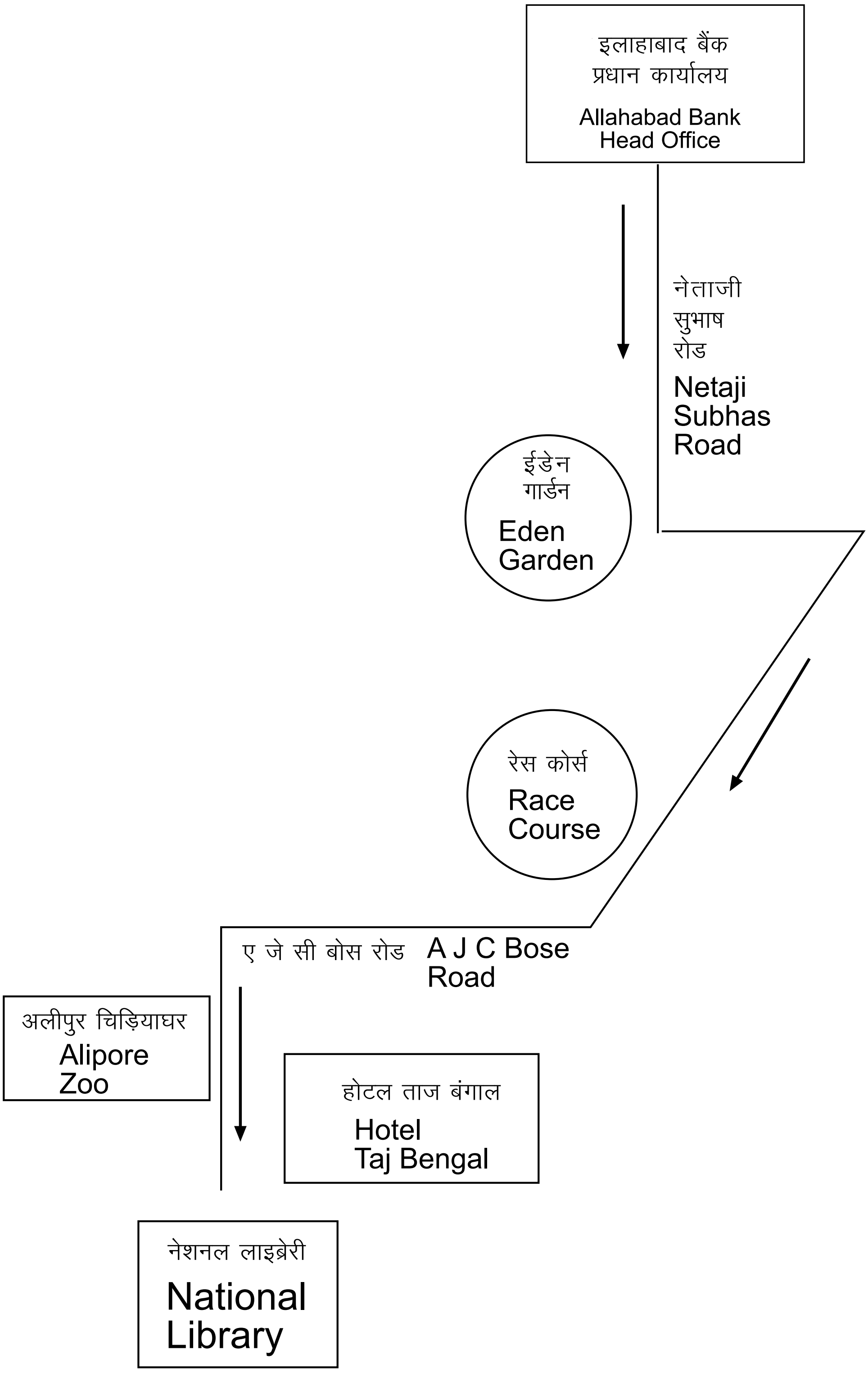

इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

Printed by Swapna : factory@swapnaprinting.com

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST